भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 73

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

स्वर्ण प्रतिभूति के बदले ऋण

73. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के प्रारूप दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की मांग की गई है, जो बैंकों द्वारा स्वर्ण प्रतिभूति/संपार्श्विक/आभूषण के बदले ऋण देने के मानदंडों पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने आरबीआई को स्वर्ण प्रतिभूति के बदले ऋण दिशानिर्देश, 2025 पर पुनर्विचार करने और 2 लाख रुपये तक के कृषि और कृषि-संबंधी ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण स्वीकार करना जारी रखते हुए स्वर्ण के बदल ऋण देने के मानदंडों पर प्रतिबंधों को कम करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): जी, हां। सरकार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 9.4.2025 को जारी किए गए स्वर्ण संपार्श्विक के बदले उधार पर प्रारूप निदेशों के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए पत्र प्राप्त हुआ है।

आरबीआई से अनुरोध किया गया था कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वामित्व/संगत दस्तावेज़ के प्रमाण की आवश्यकता के साथ उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता से स्वीकृत राशि के तत्कालीन प्रस्तावित लिंकेज से किसानों सहित स्माल टिकट उधारकर्ताओं को छूट देने पर विचार करे।

आरबीआई ने अब स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक के बदले उधार पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक पर विचार करते हुए सिद्धांत आधारित संगत विनियामकीय ढ़ांचा तैयार करने और स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक के बदले में ऋण के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी अंतर का समाधान करने के लिए दिनांक 06.06.2025 को व्यापक निदेश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, ये निदेश खपत या आय सृजन (कृषि ऋण सहित) के उद्देश्य के लिए आरई द्वारा दिए गए वैसे सभी ऋणों पर लागू होते हैं जहां पात्र स्वर्ण या चांदी संपार्श्विक को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

इन निदेशों की प्रमुख विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के मूल्यांकन सहित विस्तृत ऋण मूल्यांकन किया जाना है यदि उधारकर्ता की कुल ऋण राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक है।

(ii) मूल्य की तुलना में अधिकतम अनुमत ऋण 2.5 लाख रुपए के अधिकतम कुल उपभोग ऋण राशि के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) उधारकर्ता के साथ सभी संपर्क क्षेत्रीय भाषा में या उधारकर्ता द्वारा चयनित भाषा में होनी चाहिए; और

(iv) उपचित ब्याज के भुगतान पर एकबारगी (बुलेट) पुनर्भुगतान ऋण का नवीनीकरण, यदि कोई हो।

******